न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,झुंझुनू
पीठासीन अधिकारी अलका बिश्नोई (आर.ए.एस) उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू

मुकदमा नम्बर – 198 / 2017

1. देवकरण पुत्र धन्नाराम दत्तक पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी खतेहपुरा तहसील व जिला झुन्झुनू।
2. रामसिंह पुत्र मालाराम जाति जाट निवासी खतेहपुरा तहसील व जिला झुन्झुनू।
3. नाहरू पुत्र मालाराम जाति जाट निवासी खतेहपुरा तहसील व जिला झुन्झुनू।
4. सुरेन्द्र पुत्र सुभाषचन्द्र जाति जाट निवासी खतेहपुरा तहसील व जिला झुन्झुनू।

उपस्थित अधिवक्ता

1. मौ0 फारूक खान अधिवक्ता प्रतिवादी नं 1 की ओर से
2. श्री श्रवण कुमार सैनी जी.ए. राज्य सरकार की ओर से

–वादीगण

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र जगुराम जाति जाट निवासी जाखड़ों का वास तहसील व जिला झुन्झुनू
2. गुगन पुत्र जगुराम जाति जाट निवासी जाखड़ों का वास तहसील व जिला झुन्झुनू
3. रघुवीर सिंह पुत्र जगुराम जाति जाट निवासी जाखड़ों का वास तहसील व जिला झुन्झुनू
4. मु. धापा स्त्री जगुराम पुत्र जगुराम जाति जाट निवासी जाखड़ों का वास तहसील व जिला झुन्झुनू
5. परमेश्वरी स्त्री स्व. सुभाषचन्द्र जाति जाट निवासी खतेहपुरा तहसील व जिला झुन्झुनू राज।
6. सुमेर पुत्र सुभाषचन्द्र जाति जाट निवासी खतेहपुरा तहसील व जिला झुन्झुनू राज।
7. पंजाब नेशनल बैंक शाखा झुन्झुनूं जरिये शाखा प्रबन्धक।
8. तहसीलदार (भू0 अभिलेख) झुंझुनू।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणार्थ एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती तथा स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांकः– 24.10.2018

पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। वाद वादीगण के अनुसार प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 05.05.2016 को वाद वादीगण खारिज कर निर्णय पारित किया गया था। जिसके विरूद्व प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

Scanned by CamScanner

राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के यहा निगरानी/टी.ए/7134/2016 पेश की गई। माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 28.11.2016 के द्वारा निगरानी विचारार्थ ग्रहण किये जाने के स्तर पर 2000/– रूपये की कोस्ट पर सशर्त स्वीकार की जाकर इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.05.2016 को निरस्त किया जाकर प्रकरण को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की गई कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को पुन नम्बर पर लिये जाने के आदेश देते हुए वादीगण को शेष प्रतिवादीगण की तलबी हेतु रजिस्ट्रर्ड नोटिस विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का एक अतिम अवसर दिया गया है। आदेशानुसार पुन दर्ज रजिस्ट्रर किया गया। माननीय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार वादीगण ने प्रतिवादीगण की रजिस्ट्रर्ड तलबी पेश नही की गई। जबकि रजिस्ट्रर्ड तलबी पेश करने का दायित्व स्वयं वादीगण का है। परन्तु न्यायालय मत पर प्रतिवादीगणों को सूचना नोटिस जारी किया गया। प्रति न0 1 की ओर से मै0 फारुक वकील उपस्थित हुआ वादीगण न0 1 व 2 ने एक प्रार्थना–पत्र स्थगन के बावजूद भी तारबन्दी करने बाबत का पेश किया गया जिसके बाबत तहसीलदार झुन्झुनू को मौके कमिश्नर नियुक्त कर प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों बाबत रिपोर्ट मंगवाई गई तहसीलदार झुन्झुनू ने मौके पर रास्ता चालू होना कोई तारबन्दी नही होना अपनी रिपोर्ट में अकित किया। वादीगण 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पोषणीय नही होने पर न्यायालय के आदेश दिनांक 23.05.2018 के द्वारा खारिज किया गया। वादीगण द्वारा यह वाद विरूद्व प्रतिवादीगण दावा दावा घोषणार्थ एवं रिकार्ड दुरूस्ती तथा स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर वाद पत्र में अवैध निर्माण नपती के अभाव में किया गया को तुड़वाने व हाल ख0न0 27 रकबा 0.10 है0 चाही की जगह मै0 मुमकीन रास्ता घोषित कर दुरूस्त करने का अनुतोष चाहा गया है। हमने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों व माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के आदेश दिनाक 28.11.2016 व मौका रिपोर्ट तहसीलदार तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त राजस्व रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन करते हुए बहस वकील उभयपक्ष पर बगौर मनन किया गया। वादीगण द्वारा वाछित अनुतोष घोषणार्थ एवं रिकार्ड दुरूस्ती चाहा गया

Scanned by CamScanner

है। जो सम्भव नही है। क्योंकि घोषणा का अर्थ है कि प्राप्त होने वाले अधिकारो की रक्षा करना व रिकार्ड दुरूस्ती का अर्थ है कि पूर्व के रिकार्ड आधार पर नये रिकार्ड बनाते हुए त्रुटि को दुरूस्ती किया जाना है। इस वाद में दोनो ही स्थितिया नही है। बल्कि घोषणार्थ एवं रिकार्ड दुरूस्ती की आड़ में वादीगण नया इन्द्राज चाही भूमि से गै0मु0 रास्ते के रूप में करवाना चाहतें है। यह अनुतोष वादीगण को इस वाद के जरिये दिया जाना विधि सम्मत नहीं है। इस प्रकार वाद वादीगण सिद्व नहीं होने से खारिज योग्य है। अतः

आदेश

उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण सिद्व नहीं होने के कारण खारिज योग्य है। अतः वाद वादी खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आज निर्णय दिनांक 24.10.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अलका बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी,झुंझुनू
उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

Scanned by CamScanner